मेडिकल उपकरणों पर जवाब तलब

■ प्रस, नई दिल्लीः दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को केन्द्र सरकार से उस याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें सभी मेडिकल डिवाइसिज(इलाज के उपकरणों) को दवाओं के रूप में अधिसूचित किए जाने संबंधी फैसले को चुनौती दी गई है। सरकार के उस फैसले का विरोध जताया गया है जिसमें इंसानों या पशुओं पर इस्तेमाल किए जाने वाले मेडिकल डिवाइसिस जैसे रक्तचाप मापने की मशीन, डिजिटल थर्मामीटर आदि को दवाओं की श्रेणी के रूप में अधिसूचित किया गया था। 'द सर्जिकल मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन' (एसएमटीए) की ओर से दायर याचिका पर स्वास्थ्य मंत्रालय से जवाब मांगा। दावा किया गया है कि सरकार ने फैसले लेते समय विचार विमर्श नहीं किया।

Scanned with CamScanner